BIHAR SHODH SAMAAGAM, VOL. 1, ISSUE 2 , p.p 9-11
(2023)

महिला सहभागीता का बढ़ता कदम

डा. रोहिणी गौतम

प्रस्तावना

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ढाँचे के अंतर्गत कानूनो, विकास संबंधी, योजनाओं और कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति का उद्देश्य बनाया गया है। हाल के वर्षो में महिलाओं की स्थिति को अभिनिश्चित करने में महिला सशक्तीकरण को प्रमुख मुद्दे के रूप में माना गया है। भारत में पंचवर्षीय योजना ''1974–78'' में महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति कल्याण की बजाय विकास का दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनी हक की रक्षा के लिए वर्ष 1990 में संसद के एक अधिनयिम के द्वारा महिला आयोग की स्थापना की गई। भारतीय संविधान में 73 और 74 संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओ को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पद के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस प्रक्रिया के द्वारा महिलाओं को निर्ण की प्रक्रिया में स्पस्ट रूप से भागीदारी प्रदान हो पायी। तथापि , एक ओर संविधान, विधानों, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और सम्बद्व तंत्रों में प्रतिपादित लक्ष्यों तथा दूसरी ओर भारत में महिलाओं की स्थिति के संबंध में परिस्थितजन्य वास्तविकता के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है।

भारत में अपितू कई नीति का अनुसरण समय–समय के अंतराल अपनाया जा रहा है। तथापि हम यह महसूस कर सकते है, अभी भी महिलाओं की भागीदारी नगण्य है। हम संवैधानिक सुरक्षा कई गुणा बढ़ा दे लेकिन जबतक महिलाओं की प्रशासनिक नीति में भागीदारी सुनिश्यित नहीं कर पायेगें, तब–तक महिलाओं की समानता, सशक्तिकरण की बात करनी बेईमानी शाबित होगी। सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए वातावरण बनाना ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करनें में समर्थ हो सकें। प्रशसनिक नीति निर्माता के रूप में महिलाओं को राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में भागीदारी करने और निर्णय लेने में महिलाओं की समान पहुंच।

प्रशासनिक भागीदारी के परिणामस्वरूप उत्प्रेरक, भागीदारी और प्रापतकर्ता के रूप में विकास की सभी प्रक्रियाओं में महिलाओ के परिप्रेक्ष्यों का समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियां, कार्यक्रम और प्रणालिंया बनाई जाई जिसमें इनकी सहभागिता के हर संभव प्रयास और मौके को सुनिश्यत की जाएं। प्रशासनिक सहभागिता के फलस्वरूप सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रिया में निर्णय लेना सहित, सत्ता की साझेदारी और निर्णय लेने में महिलाओं की बराबर की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विधायी, शासकीय, न्यायिक, कोपोरेट, संवैधानिक निकायों, तथा सलाहकार आयोग, समितियों, बोर्डो, न्यासों आदि सहित प्रत्येक स्तर पर नीति निर्धारक वाले निकायों में महिलाओं की समान पहुंच एवं पूर्ण सहभागिता की गारंटी के लिए भी सभी उपाय किए जाए। इन तमाम प्रावधानों के अनुरूप महिलाओं की भागीदारी पूर्ण रूप से बढ़ती जायेगी। भारत की महिलाओं ने अपनी प्रशासनिक भागीदारी से हाल के वर्षो में सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। महिलाओं की दूरदिर्शिता का परिणाम हैं आज वे अत्यंत दुर्लभ क्षेत्रों में भी अपने आप को सहज और मानकपूर्ण बनाकर अपने प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्ण कर लेते है। महिलाओं के प्रशासनिक भागीदारी के दूरगामी परिणाम यह उभर कर आया कि इनकी सहभागिता के बाद आम–जन लोगों को इन्होंने काफी करीब से जोड़ा, जिसके फलस्वरूप समाज का हर वर्ग महिला अधिकारी के समक्ष अपने आप को ज्यादा सहज और सरल पाते है। आज समाज का हर वर्ग एक महिला अधिकारी को अपना विचार या समस्या को बहुत ही सरलता पूर्वक रख पाते है। महिलाओं की भागीदारी आजादी के बाद प्रशासनिक क्षेत्र में काफी कम रही है, इसके पीछे समाज की वह मानसिकता एक बड़ी वजह थी। हमारा भारतीय समाज यह मानकर बैठा था, कि एक महिला अच्छा प्रशासनिक अधिकारी नहीं हो सकती हैं, वह एक अच्छी नीति निर्माता नहीं हो सकती है। महिलाओं को पूर्ण अवसर भी प्रदान नहीं किया जा रहा था। उनके लिए ऐसे अवसर या वातावरण उपलब्ध नहीं हो पा रहे थें, जिसमें एक महिला अपने अन्दर प्रशासनिक अधिकारी को जन्म दें।

आजादी के बाद आईस और आईपीएस के लिए पहली बार परीक्षा का आयोजन वर्ष 1948 में किया गया था। अगर हम पुरुष की बात करें पुरूषों का एकाधिकार वर्ष 1950 तक

डा. रोहिणी गौतम
शोधार्थी राजनीति विज्ञान, दिल्ली विश्वविद्यालय

था, केवल 1951 में पहली महिला आईपीएस शामिल हो पाई। हालाकि भारतीय संविधान यह सुनिश्यत करता हैं, कि धर्म, जाति, लिंग और भाषा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाऐगा तथापि उनके साथ 1954 का प्रशासनिक सेवा उनके लिए भेदभाव पूर्ण था। कोई भी विवाहित महिला सेवा के लिए आवेदन नहीं कर सकती थी। 1972 के सेवा अधिनियम यह प्रावधान तथापि हटा लिया गया, इसके फलस्वरूप अब कोई भी विवाहित महिला भी आवेदन दे सकती थी। इस सेवा अधिनियम में महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश और महिलाओं के लिए लिए सुअवसर और अच्छे वातावरण की बात कहीं गई। भर्ती–नियम और कार्मिक सूची का अवलोकन करने के बाद यह लगता हैं कि अभी महिलाओं की भागदारी गनण्य है। अगर हम कुल भारतीय प्रशासनिक सेवा में महिलाओं की चयन की बात करें तो मात्र 10 प्रतिशत महिला ही भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रतिनिधितत्व कर रहीं है। इससे यह स्पस्ट हो जाता है, कि महिलाओं की सहभागिता अभी काफी कम है। क्या यह उचित प्रतिनिधत्व का रही हैं। यह एक बड़ा सवाल आज भी हमारे सामने उभर कर आ रही है। नीचे दिये गये ग्राफ में यह स्पस्ट कर दिया हैं। कि महिलाओं की सहभागिता कीतनी प्रतिशत सेवा–वार है।

किसी भी प्रणाली के निर्धारण में कार्यप्रणाली की गुणवत्ता को प्राप्त करने में महिलाओं की प्रशासनिक भागीदारी सुनिश्चत करनी होगी। भारतीय महिला अपने राष्ट्री चरित्र के साथ एक मजबूत बंधन बल दिया जिसके परिणाम स्वरूप आज राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। उच्च मानकों एवं गुणवत्ता पूर्ण सलाह के लिए किसी भी परिस्थितियों में महिलाओं की भागदारी और सर्वप्रथम हो जाता है। अगर भारत को एक गतिशील अर्थव्यवस्था का संचालन और उनके जैसे परिस्थिति या वातावरण तैयार करना है, इसमें महिला प्रशासक अग्रमी भूमिका निर्वाहन कर सकती है। इनकी भूमिका के बगैर हम ओ वातावरण और माहौल नहीं दें पायेंगे जिसमें निवेशक अपने आप को सुरक्षित और सहज महसूस कर सके। इस कार्य में महिला प्रशासनिक उत्तरदायित्व सहज पूर्वक निर्वहन कर लेती है। भारत को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए व्यापक सुधार की जरूरत है, अगर हम यह कार्य महिला प्रशासनिक अधिकारी को सौंपते हैं वे पूर्व की तरह इसमें पूर्ण सक्षम और परिणाम उन्नमूख कार्य कर के हमें देंगे। महिला प्रशासनिक अधिकारी वास्तविक परिस्थिति के साथ तालमेल बैठाने का भी सहज कार्य कर लेती है। इस आर्थिक करण युग और उदारीकरण परिपेक्ष में खुद को तैयार रखती है। सेवा के इष्टम उपयोग की जिम्मेवारियाँ भी एक महिला प्रशासनिक अधिकारी सहज करती आ रही है। बदलते परिवेश में जिस तरह राजनीतिक, सामाजि, और सांस्कृतिक परिवेश का जो एक वातावरण इनके अनुरूप नहीं रहती हैं उन वातावरण में महिला अधिकारी खुद को सदैव तैयार रखती है। मानव विकास के साथ उनकी संप्रभुता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हुई एक स्वपन्न शील भारत को संजीवता प्रदान कर रही है। प्रशासनिक संसाधन का अधिकतम प्रयोग न्यूनतम प्रयोग पर बल देते हुए भारत को सशक्त आधार प्रदान करने के लिए सलाह और निती निर्माण करती है। महिला प्रशासनिक अधिकारी बदलती परिस्थिति में खुद को बदलने के तत्पर रहती है। सरकार के निती और निर्माण में अपनी जिम्मेवारी को कुशलता से निर्वहन करती है। प्रशासनिक दृष्टि से समय–समय के उपरांत कई आयोग ने महिलाओं के लिए कई सुझाव प्रदान किये है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने महिलाओं के लिए अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए उनके अनुकूल परिस्थिति निर्माण में सहायता प्रदान की है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी यह सुझाव दिया है कि प्रशासनिक भागीदारी में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास होना चाहिए। बीएन युगांधर समिति, होता समिति ने भी कहा है कि महिला अधिकारी समावेशी विकास और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनकी सहभागिता आवश्यक है। अगर हम इन समिति के रिपोर्टो का अवलोकन करते हैं तो यह स्पस्ट हो जाता हैं कि इन्होंने महिलाओं को प्रशासिन क्षेत्र में सहभागिता को अहम माना है। भारत की आज भूमिका बदल रही है, अपितू पूरा विश्व आज भारत की हर कदम पर अपनी पैनी नजर बनाये रखता है। आज भारत राष्ट्रीय स्तर से नहीं बल्कि अंतराष्ट्रय स्तर पर अपनी छवी ला चुका हैं। इस बदलती परिस्थिती में भी अगर हम महिलाओं को पूर्ण सहभागिता देते हैं तो भारत एक सशक्त देश बनकर उभरेगा। भारत के शीर्ष नेतृत्व की सलाहकार और निर्ती निर्माण में हाल के वर्षो में जिस तरह से महिला प्रशासिन अधिकारियों ने अपनी सहभागिता को सुनिश्चित किया है। जिसका परिणाम है आज भारत को विश्व–मंच पर वह पहचान मिल चुकी हैं जो विगत दशकों से नहीं मिली थी। इसमें महिलाओं के नीति–निर्माण की भूमिका रही है। भारत को आज समाज की हर वर्ग की सामाजिक,

राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जरूरत के साथ ऐसे सामाजिक सेवा भी प्रदान करनी होती है, जिनकां संबंध उनकी दिनचर्या से होती है। अगर सामाजिक सेवा और समाज के लोगों की सहभागिता की बात करें तो इसमें महिला प्रशासनिक अधिकारी काफी सहज और पूर्ण होती है।

संदर्भ सूची :–

Wayne Vasey, Government and Social Welfare

Hota Committee (2004). 'Report on Civil Service Reforms' Government of India. July 2004

Second Administrative Reforms Commission (2005).'Tenth Report: Refurbishing of Personnel Administration

Ramesh Kumar Arora, Rajni Goyal,. (2005), 'Indian public administration: institutions and issues' Publisher: New Age International Private Limited

IGNOU E-Gyan Kosh. ' Unit 11: All India And Central Services'

Sixth Central Pay Commission. 'Questionnaire for inviting suggestions/comments from public and other interest groups' Government of India

Surinder Nath Committee (2003). 'Report on System of Performance Appraisal, Promotion, Empanelment and Placement for All India Services and Other Group 'A' Services'. Government of India. March 2003

Yoginder K. Alagh Committee (2001). 'Report on Review of Selection Process for Civil Services' Government of India. October 2001

Journal of International Women's Studies Volume 12 Issue 1 (January/February) jan-2011